दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 18/01/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
8.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
9.	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
10.	डॉ0 विश्वदीपक	वरिष्ठ शिक्षक, डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, गोरखपुर	सदस्य
11.	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
12.	डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :

1. पैसफिक कालेज ऑफ फिजियोथिरेपी, लच्छीपुर, गोरखपुर में एम0एल0टी0 पाठ्यक्रम में पूर्व से प्रवेशित परीक्षार्थियों के रोके गये परीक्षाफल के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 में अध्यक्ष की अनुमति के बिन्दु संख्या 1 में निम्नवत निर्णय लिया गया है–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि *"बैचलर ऑफ फिजियोथिरेपी एवं बैचलर ऑफ पैथालोजी (एम0एल0टी0) के ऐसे 11(ग्यारह) अभ्यर्थियों को जो दो विषय से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा अगली कक्षा की दी हुई परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हैं तो उक्त अंक सुरक्षित मानकर पिछली कक्षा जिसमें अनुत्तीर्ण हैं कि सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करा ली जाय, पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अगली कक्षा का जो अंक सुरक्षित है, परीक्षाफल पूर्ण कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाय।"*

उपरोक्त निर्णय के क्रम में संदर्भित कक्षा में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण 11 (ग्यारह) छात्र/छात्राओं की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में अनुत्तीर्ण होने के अगले वर्ष में सम्पन्न कराकर परीक्षाफल घोषित किया गया। उक्त कक्षा के उत्तीर्ण अंक के आधार पर (अगली कक्षा जिसमें छात्र उत्तीर्ण हैं तथा परीक्षा समिति के निर्णयानुसार उक्त कक्षा का परीक्षाफल सुरक्षित रखा गया है) परीक्षाफल घोषित करने के फलस्वरूप भूतपूर्व के रूप में भाग एक वर्ष–2013 तथा भाग दो वर्ष–2013 एक ही वर्ष में हो जाने से छात्र/छात्राओं में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उक्त स्थिति के निराकरण पर विचार।

निर्णयः–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि जिस वर्ष में छात्र/छात्राऐं अनुत्तीर्ण हैं उसी वर्ष की अंकतालिका जारी की जाय तथा पूर्व में अनुत्तीर्ण विषयों के सम्मुख स्टार (*) लगाकर अंकतालिका के नीचे नोट अंकित किया जाय कि– *"जिस विषय पर स्टार (*) अंकित है, उक्त विषयों में छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण होने की दशा में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में पुनः उक्त कक्षा की समस्त विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न कराकर, परीक्षाफल घोषित किया गया।"*

साथ ही समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त छात्रों की सभी अनुत्तीर्ण कक्षाओं की परीक्षा, कक्षावार अलग–अलग समय सारणी के अनुसार इसी वर्ष सम्पन्न करा ली जाय।

2. पैसफिक कालेज ऑफ फिजियोथिरेपी, लच्छीपुर, गोरखपुर में बी0पी0टी0 पाठ्यक्रम में पूर्व से प्रवेशित 06 (छः) परीक्षार्थियों के रोके गये परीक्षाफल के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19/11/2015 के बिन्दु संख्या 3 में निम्नवत निर्णय लिया गया है–

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों के प्रत्यावेदन जिसमें अध्यादेश के विपरीत दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी अगली कक्षा की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो गये हैं तथा बैकपेपर में दो बार से अधिक बार सम्मिलित कराया गया है के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 के क्रम में पैसफिक कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी लच्छीपुर

गोरखपुर के सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया था कि–*"बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एवं बैचलर ऑफ पैथोलाजी (एम0एल0टी0) के ऐसे 11 अभ्यर्थियों को जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा अगली कक्षा की दी हुई परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हैं तो उक्त अंक सुरक्षित मानकर पिछली कक्षा जिसमें अनुत्तीर्ण हैं की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करा ली जाय, पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अगले कक्षा का जो अंक सुरक्षित है परीक्षाफल पूर्ण कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा" के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही पूर्ण की जाय तथा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बैकपेपर के सम्बन्ध में अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय।*

उपरोक्त निर्णयानुसार उक्त छः छात्रों की स्थिति निम्नवत है–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अनुत्तीर्ण कक्षा व वर्ष	भूतपूर्व के रूप में परीक्षा हेतु कक्षा व वर्ष
1.	अमित कुमार श्रीवास्तव	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2007 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2008	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2009
2.	आफताब अहमद खान	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2009	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2010
3.	विवेक कुमार श्रीवास्तव	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2007 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग चार वर्ष–2009	बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग चार वर्ष–2010
4.	धीरज कुमार यादव	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2007 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2009	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2010
5.	आशुतोष चन्द	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2007 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2009	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2010
6.	आशीष गोयल	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2008 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2010	बी0पी0टी0 भाग एक वर्ष–2009 बी0पी0टी0 भाग दो वर्ष–2010 बी0पी0टी0 भाग तीन वर्ष–2011

उपरोक्त छात्रों के सम्मुख अंकित कक्षाओं की परीक्षा, भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करायी जानी है, जिसके क्रम में निम्नबिन्दुओं पर विचार।

(क) उपरोक्त छात्रों की सभी अनुत्तीर्ण कक्षाओं की परीक्षा शीघ्र कैसे करायी जाय पर विचार।
(ख) भूतपूर्व के रूप में सम्मिलित परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर अगली कक्षा (जिसमें पूर्व से छात्र/छात्राएं उत्तीर्ण हैं तथा परीक्षा समिति द्वारा उक्त कक्षा का अंक सुरक्षित रखा गया है) दोनों कक्षा का वर्ष एक ही होने के दशा में, उक्त स्थिति के निराकरण पर विचार।

निर्णयः–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि–

(क) छात्रों की सभी अनुत्तीर्ण कक्षाओं की परीक्षा, कक्षावार अलग–अलग समय सारणी के अनुसार इसी वर्ष सम्पन्न करा ली जाय।

(ख) जिस वर्ष में छात्र/छात्राऐं अनुत्तीर्ण हैं उसी वर्ष की अंकतालिका जारी की जाय तथा पूर्व में अनुत्तीर्ण विषयों के सम्मुख स्टार (*) लगाकर अंकतालिका के नीचे नोट अंकित किया जाय कि–*"जिस विषय पर स्टार (*) अंकित है, उक्त विषयों में छात्र/छात्रा के अनुत्तीर्ण होने की दशा में परीक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में पुनः उक्त कक्षा की समस्त विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न कराकर, परीक्षाफल घोषित किया गया।"*

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19/11/2015 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार के बिन्दु संख्या (6) में लिये गये निर्णय–

निर्णय–इस सन्दर्भ में परीक्षा नियंत्रक ने सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 443/सत्तर–1–2015–20(6)/13 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 16/06/2015 द्वारा जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या–2 में वर्णित अंश –

"उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों और इस निमित अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त विश्वविद्यालय की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में से किसी भी महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र को, जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की

उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था या उसके लिये परीक्षा में बैठने के लिये पात्र था, उक्त उपाधि के लिये अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और ऐसे छात्र के शिक्षण और उसकी परीक्षा के लिये दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अथवा डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा जो ऐसी परीक्षाफल घोषित करेगा और तदुपरान्त सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर ऐसी घोषणा के आधार पर अपनी उपाधि प्रदत्त करने के लिये समक्ष होगा।'' उपरोक्त निर्णय के क्रम में विधिक राय प्राप्त कर लिया जाय।

निर्णयः—विधि सलाहकार से प्राप्त विधिक राय दिनांक 09/01/2016 के क्रम में समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि शासनादेश *सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 443/सत्तर—1—2015—20(6)/13 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 16/06/2015* द्वारा जारी अधिसूचना के बिन्दु संख्या 2 में वार्णित घोषणा के अनुसार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की स्थापना के पूर्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की अधिकारता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के समस्त महाविद्यालयों के स्नातक एव स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भूतपूर्व के रूप में परीक्षाफार्म भरवाकर, परीक्षाशुल्क जमा कराकर परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय।

4. सर्वेश कुमार पाण्डेय, विधि प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर अनुक्रमांक 1514210010253, कक्षा विधि संकाय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 26/12/2015 के द्वारा सूचित किया है कि अन्तरविश्वविद्यालयी युवा महोत्सव 2015—16 का आयोजन 03 जनवरी 2016 से 07 जनवरी 2016 तक तेजपुर विश्वविद्यालय, असम में होना सुनिश्चित है इस हेतु मेरा चयन वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रतिनिधित्व के लिए किया जा चुका है, रेलवे आरक्षण भी हो चुका है। चूँकि मेरा मैखिकी परीक्षा इसी बीच होने की सूचना दी गयी है। अतः मेरी मौखिकी परीक्षा अलग से करा ली जाय की मांग की है। तदक्रम में विचार।

निर्णयः—समिति ने अधिष्ठाता विधि संकाय के परामर्श के अनुरूप सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्र की मौखिकी परीक्षा सन्तविनोबा डिग्री कालेज देवरिया में सम्पन्न करा ली जाय।

5. कु0 निवेदिता बी0एस—सी0 भाग तीन अनुक्रमांक 7122250015 प्राणि विज्ञान चतुर्थ प्रश्नपत्र वर्ष—2014 नकल में आरोपित हैं के प्रकरण में उत्तरप्रदेश राज्य महिला आयोग, मानव अधिकार भवन (तृतीय तल) टी0सी0—34 बी0—1/विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ के पत्र के क्रम में एक जांच समिति का गठन कुलपति जी द्वारा किया गया, जांच समिति की आख्या के आधार पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कुमारी निवेदिता का परीक्षाफल घोषित कर राज्य महिला आयोग को सूचित किया जा चुका है। तदक्रम में समिति के अनुमोदनार्थ प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से इस प्रकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए, अनुमोदन किया।

6. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामदरश बी0एस—सी0 (एम0एल0टी0) द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2014 अनुक्रमांक 7142735042 कैच नं0 1330—ए,बी की उत्तरपुस्तिका नकल में आरोपित है। मूल्यांकन एवं निस्तारण हेतु प्राचार्य/अधिष्ठाता औषधि संकाय बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को प्रेषित किया गया था। परीक्षक की रिपोर्ट है कि ''कॉपी में लिखा गया अपठनीय है जिसके कारण मेरे द्वारा मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है'', तदनुसार प्राचार्य/अधिष्ठाता औषधि संकाय ने अपने पत्र पत्रांक संख्या 2467/बी0आर0जी0/एम0सी0—15/एके0 दिनांक 26/07/2015 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु उत्तरपुस्तिका परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित की है। इस सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही पर विचार।

निर्णयः—समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि पुनः उत्तरपुस्तिका प्रेषितकर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करा लिया जाय तथा छात्र द्वारा लिखित अनुचित साधन सामग्री के सम्बन्ध में यह आख्या प्राप्त कर ली जाय कि अनुचित साधन सामग्री (हस्तलिखित) विषय से सम्बन्धित है अथवा नहीं। छात्र द्वारा उत्तरपुस्तिका में उसका प्रयोग किया है अथवा नहीं ?

7. श्री नित्यानन्द चतुर्वेदी पुत्र श्री राजकुमार चतुर्वेदी बी0पी0एड0 अनुक्रमांक 7754230029 वर्ष 2013—14 (परीक्षा—2015) में नकल में आरोपित हैं। निस्तारण समिति ने वर्ष 2013—14 का परीक्षाफल निरस्त कर दिया है एवं वर्ष 2014—15 की परीक्षा से वंचित किया गया है। इस सम्बन्ध में नित्यानन्द ने प्रत्यावेदन किया है कि परीक्षा के दौरान चेकिंग होने लगी उसी समय किसी छात्र ने पीछे से गाइड बुक फेंक दी और उस गाईड बुक को मेरे उत्तरपुस्तिका में लगा दिया गया है, पीछे बैठा छात्र श्री पारस नाथ जो नकल में पकड़ा गया था द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि अपने को बचाने के लिए मैं किताब को आगे की तरफ फेंका था। तदक्रम में नित्यानन्द के प्रत्यावेदन पर विचार।

निर्णयः—समिति ने इस प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुए सर्वसम्मत्ति से यह निर्णय लिया कि सम्बन्धित प्रकरण में छात्र का वर्ष—2014 का ही परीक्षाफल निरस्त किया जाय।

8. विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा हेतु सादी उत्तरपुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाने में लगे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पारिश्रमिक के रूप में प्रतिराउन्ड की दर से एवं सादी उत्तरपुस्तिकाओं को वाहन पर दैनिक मजदूरों द्वारा लोडिंग व अनलोडिंग हेतु प्रति बण्डल की दर से भुगतान पर विचार।

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से इस प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. अवगत कराना है कि 1. श्री मृत्युंजय कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, बी0एड0 वर्ष 2001, अनुक्रमांक 1200522 एवं 2. श्री मंकेश्वर प्रसाद पुत्र केदार नाथ, बी0एड0 वर्ष 2001 अनुक्रमांक 1200521 की सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में उपलब्ध नहीं है तथा महाविद्यालय के प्राचार्य ने भी अपने पत्र सं0–बी0पी0सी0/173/2015–16 द्वारा अवगत कराया है कि उनके महाविद्यालय में भी बी0एड0 सत्र 2001 अनुक्रमांक 1200509 से 1200526 तक का पृ0 उपलब्ध नहीं है।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने पत्र संख्या बी0पी0सी0/179/2015–16 दिनांक 18/01/2016 के माध्यम से अवगत कराया है कि मृत्युन्जय कुमार पुत्र मदन सिंह अनुक्रमांक 1200522 एवं मंकेश्वर प्रसाद पुत्र केदार नाथ बी0एड0 सत्र 2001 की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत की गयी है।

इस सन्दर्भ में –

(क) (1) श्री मृत्युंजय कुमार ने परीक्षा प्रवेशपत्र की छायाप्रति।
(2) विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल डिग्री की छाया प्रति (इनरोलमेंट नं–घघ–9123)।
(3) महाविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्र की छायाप्रति।
(4) विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत डिग्री की छायाप्रति, संलग्न किया है।

(ख) (1) श्री मंकेश्वर प्रसाद ने महाविद्यालय द्वारा जारी अंकपत्र की छायाप्रति।
(2) विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल डिग्री की छायाप्रति।
(3) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री की छायाप्रति।
(4) महाविद्यालय द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम के अध्ययन के समय जारी चरित्र प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
(5) बी0एड0 के समय स्काउट/गाइड शिविर में भाग लेने का प्रमाणपत्र की छायाप्रति, संलग्न किया है।

उपरोक्त के क्रम में उपाधि की सत्यतता व सत्यापन पर विचार।

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्रों से शपथपत्र प्राप्तकर दोनों छात्रों की अंकतालिका के आधार पर अलग सारणीयन पंजिका तैयार कर अभिलेख कक्ष में संचित कराकर दोनों अभ्यर्थियों का परीक्षाफल का सत्यापन आख्या प्रेषित कर दिया जाय।

2. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के सन्दर्भ में केन्द्र व्यय (सेण्टर चार्जेज) तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी हेतु प्रति परीक्षार्थी आठ रूपये निर्धारित है, एवं उड़नदस्ते के सदस्यों के पारिश्रमिक जो रू0 90/– प्रतिदिन निर्धारित है में बृद्धि पर विचार।

निर्णयः–समिति ने सर्वसम्मत्ति से इस प्रकरण को वित्त समिति को सन्दर्भित किया।

3. विश्वविद्यालय अध्यादेश (आर्डिनेन्स) में परीक्षा समिति के गठन के विन्दु सं0–9 में प्रावधानिक व्यवस्था "Such other teachers not exceed two in number as may be coopted by the examination committee of same as members of the committee for a period of one year" के क्रम में परीक्षा समिति में शेष एक सम्मानित क्वाप्ट सदस्य के मनोनयन पर विचार।

निर्णयः–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से इस प्रकरण में डॉ0 जय गोविन्द मिश्र, उपाचार्य संस्कृत विभाग को परीक्षा समिति के सदस्य हेतु एक वर्ष के लिए अथवा सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो क्वाप्ट किया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति